an>

Title: Regarding situation arising due to inflammatory statements made by politicians including parliamentarians.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया **(गुना) :** आपके निर्णय का हम सदैव पालन करते हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हम कह रहे हैं। इस बार आज आपने कृपा करके एलाऊ किया है। अध्यक्ष महोदया, देश में आज एक चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बार-बार सरकार में बैठे हुए सांसद और अनेक गठबंधन दल के सांसद ऐसी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके आधार पर देश में सदभाव...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आप जनरल बात मत बोलो।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया **:** सदभाव का वातावरण ही पूरी तरह से चूर-चूर हो रहा है। ...* ने एक टिप्पणी की कि सारे देश के मुस्लिमों को उनके मताधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आप जनरल सब बातें मत कहें, I am sorry.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया**:** उसी के साथ केन्द्र सरकार के मंत्री **गिरिराज सिंह जी** ने भी एक अशोभनीय टिप्पणी हमारी यू.पी.ए. की अध्यक्षा के विरुद्ध की है।...(व्यवधान) इसकी जितनी भी आप निन्दा करें, वह कम होगी।...(व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन लेडी से ब्याह किया होता, गौरी चमड़ी न होती तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका नेतृत्व स्वीकारती।...(व्यवधान) इससे ज्यादा अशोभनीय बात क्या हो सकती है। ...(व्यवधान) आप भी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज ऐसी टिप्पणी देश की महिलाओं के विरुद्ध ही केवल नहीं है, मैं तो समझता हूं कि इस देश के हर वासी का सिर शर्म से झुक चुका है।...(व्यवधान) आज इस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, देवी-देवताओं को पूजा जाता है, लक्ष्मी को पूजा जाता है और जो संस्कृत में हमारा श्लोक है कि 'यत् नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत् देवता' जहां नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता विराजते हैं।...(व्यवधान) आज ये जो अशोभनीय टिप्पणी की है, यह केवल इस देश की महिलाओं के विरुद्ध ही नहीं, इस देश के हर वासी के विरुद्ध है। नाइजीरिया के लोगों के विरुद्ध भी यह टिप्पणी की गई है।...(व्यवधान) नाइजीरिया के हाई कमिश्नर ने कहा है कि भारत देश से माफी हमें चाहिए, क्योंकि एक मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है।...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी स्वयं विदेश के दौरे पर हैं, उनके मंत्री ऐसी टिप्पणी करते हैं और यहां प्रधानमंत्री जी मौन व्रत साधे हुए हैं।...(व्यवधान) आज हम चाहते हैं कि केवल सांसद और मंत्री के द्वारा माफी न मांगी जाये, लेकिन उनका त्याग-पत्र मांगा जाये और प्रधानमंत्री स्वयं सदन में माफी मांगें कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी अध्यक्षा के विरुद्ध की गई है, यह हमारी मांग आपके माध्यम से है। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री**,** आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री **(**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**) :** इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गये?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** इस पर सब नहीं बोलेंगे, मैंने इसीलिए एलाऊ किया था कि यह बात गलत थी, इसलिए मैंने एक ही बात के लिए इनको एलाऊ किया था। आपको मैं शून्यकाल में मौका दूंगी, प्लीज़ बैठिये।

â€¦(व्यवधान)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, please allow me to speak. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

...(*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: The matter is related to two ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Madam, it is about tribal people.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I know that, but it is a State matter.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not now. I will allow it during '*Zero Hour*'.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do you want to say something?

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष**:** यह केवल एक ही मैटर मैंने एलाऊ किया। यह बात सही है कि किसी महिला के लिए गलत बोले। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, the issue raised by Shri Jyotiraditya Scindia definitely is an important issue that has to be responded to. As the hon. Speaker has rightly said that when you give him an opportunity, then there has to be a response and that will be responded to. Nobody in the Government approves of such statements, particular, at personal level. ...( *Interruptions*) That too, on a Party functionary, who is holding the highest office in the Party. This sort of comments is not acceptable to anybody.

Secondly, the issue that Shri Venugopal wants to raise here also is an important issue. Madam, what I would suggest is that we have been seeing â€¦

HON. SPEAKER: I know that. It can be allowed during '*Zero Hour*'. I will allow it.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Yes, whenever you give permission, these issues can be discussed. I request the House to proceed with the Question Hour and complete the Business and go back to it. ...(*Interruptions*) The Prime Minister is nowhere in the picture in this. ...(*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया **:** इस सदन के मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है, इससे ज्यादा अशोभनीय बात नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** ये बातें उन्होंने कहीं, बिल्कुलâ€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे **(**गुलबर्गा**) :** अगर कोई साधारण एम.पी. बोलते तो उनके बारे में आप कुछ कह सकते थे, लेकिन एक मंत्री, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी कलैक्टिव रैस्पोंसिबिलिटी है, अगर ऐसे मंत्री बोलते हैं तो उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी को भी खुद यहां आकर यह कहना चाहिए कि मेरे बार-बार बोलने के बाद भी हमारे लोग नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू **:** मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रधान मंत्री जी का नाम नहीं लीजिए। आप इस बीच में प्रधान मंत्री जी को क्यों ला रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे **:** क्यों न लाएं? He is a Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : You want to politicise it....(*Interruptions*) आप इस इश्यू के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is a Minister in his Cabinet.

HON. SPEAKER: I understand that much.

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रधान मंत्री जी का नाम नहीं जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is the Leader of the House and, therefore, he has to reply.â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, एक बात आप लोग समझिए। मैं यह सब से रिक्वेस्ट कर रही हूं। मैंने पहले भी यह कहा था। बार-बार कोई माननीय सदस्य इधर से कुछ बोलते हैं, उधर से कुछ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि क्या एक माफी आवर रखूं?

ज्योतिरादित्य जी, मैं आपकी बात से भी बिल्कुल सहमत हूं। जिस दिन यह स्टेटमेंट आया, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगा। किसी को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी उसी समय यह कहा था कि यह गलत बात है। लेकिन, हर चीज़ में प्रधानमंत्री को लाइए। Please do not do that. मगर, यह नहीं बोलना चाहिए।

वैंकैय्या जी, यह मैं आपसे भी कहूंगी। मंत्री हों, आपके साथी हों और सभी लीडर्स को मैं कहूंगी कि वे अपने-अपने सभी सदस्यों को प्लीज़ यह कहें कि ऐसी कोई बात वे अपने मुंह से क्यों निकालें जो किसी को हर्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब क्या हो गया?

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** वे माफ़ी मांगे। यह गलती है, इसे वे कबूल करें। ऐसी चीज़ आइन्दा नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष **:** क्या मैं रोज़ एक को माफ़ी मांगने के लिए कहूं? मैंने बोला न कि यह गलत है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** आपने तो बोला है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम तो सदन नहीं चलने देंगे। ऐसा नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

**11.17 hrs**

*At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other Members came and stood on the floor near the Table.*

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** सदन के बाहर ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। सदन के बाहर जो घटित हो, क्या रोज़ उसकी चर्चा यहां पर करें?

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैंने ऑन-रिकॉर्ड यह कहा है कि यह नहीं होना चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

**11.19 hrs**

**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER: Q. No. 361- Shri Ram Kumar Sharma.

**(Q. 361)**

श्री राम कुमार शर्मा**:** आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी के उत्तर और मेरे प्रश्न के पूर्व एक मूल सवाल पैदा हो गया है।...(व्यवधान) मेरे मूल प्रश्न और मंत्री जी के उत्तर में काफी अन्तर है। मेरे पास मूल प्रश्न की छाया प्रति है। यदि आपका आदेश हो तो मैं इसकी कॉपी आपको समर्पित कर दूं।...(व्यवधान)

श्रीधरण कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट नवम्बर, 2014 को प्राप्त हुई है।...(व्यवधान) समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर कमेटी ने रेलवे के संगठनात्मक ढांचे में सुधार के सुझाव दिए हैं, ताकि रेलवे में भ्रष्टाचार के कारण प्रति वर्ष जो हज़ारों करोड़ रुपये की हानि हो रही है, उसे रोका जा सके।...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ढांचागत सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है?...(व्यवधान)

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I want to first of all clarify that the decision to delegate all the tendering powers which were enjoyed by the Minister previously was made by me on the 10th of November, the first day in office. So, it is not a Committee which recommended anything. We appointed a Committee on the 13th of November only to suggest ways and means of implementing the decision, to come out with a proper structure, and to develop management information system whereby we will be able to have proper control and also a proper system to understand how the delegation will take place. Shri Sreedharan himself said that it was a watershed development in the history of Indian Railways that we have delegated powers to this extent. That report on delegation of powers to General Managers has already been implemented.

What we are now trying to implement is the possibility of giving away powers of various kinds. There are various powers which we use. In terms of approval of works, currently, the ceiling on the powers of the General Managers to sanction works is up to Rs. 2.5 crore, which we want to increase. The powers relate to traffic facilities; new rules; road safety related works; computerization; works related to workshop; and also the power to give sanction of estimates, which is a major power which we feel should be enjoyed by the General Managers. We have already delegated powers related to some of the establishment issues. We are now trying to look at the delegation of powers relating to commercial issues, which normally are dealt with by the Railway Board. We are trying to see how those powers can be delegated. We want to delegate powers not only to the General Managers, but also going beyond, we are trying to find out how the powers can further be delegated to the Divisional Railway Managers and also to some Station Masters.

The whole exercise of delegating powers is aimed to bring in more efficiency, more transparency, more accountability and also a sense of belonging to the executives like the General Managers and the Divisional Railway Managers. We are also introducing a system whereby some of the Zones, at least two to begin with, will have the autonomy to decide and we will sign an MoU with them so that they can exercise their powers properly, which will bring in more efficiency. ...(*Interruptions*)

श्री राम कुमार शर्मा**:** महोदया, कमेटी ने हाल ही में अन्तरिम रिपोर्ट मार्च, 2015 को सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के रेलवे में सम्बन्धित लोगों की मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार के घपलों का उल्लेख किया है। ...(व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन तत्वों की पहचान की गई है, यदि की गई है तो वे कौन-कौन हैं और उन पर क्या-क्या आरोप हैं? ...(व्यवधान)

SHRI SURESH PRABHU: Madam, I want to clarify that the Sreedharan Committee was appointed to implement the decision made by the Minister of Railways on the 10th of November, the first day in office. After that, the Committee has made its report, and the final report came in March. What he has said in the report as a passing reference is about the amount of money that can be saved if we are able to do certain things. In any case, we have already decided to implement the decisions made by me in the form of Committee recommendations. All of them will be implemented in a proper manner.

We are not ending here; we are also going further or even beyond it. We have decided to delegate substantial powers to the DRMs. We have decided to delegate financial powers to the Station Managers/Station Masters. We are introducing accountability with empowerment through signing of MoUs with Zonal Railways and Production Units. We are fixing timelines for procedural approvals. There will be incentives for timely completion of works. The PSUs will be empowered with additional decision-making and financial powers.

All of this is a part of an overall exercise to revamp the functioning of Railways to bring in more accountability. If at all there is any instance or evidence available of any wrong practice, it is needless to say that the Government will take strict action to bring the culprits to book. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.45 a.m.

**11.24 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past*

*Eleven of the Clock.*

**11.47 hrs**

*Lok Sabha reassembled at Forty Seven Minutes past Eleven of the Clock.*

(Hon. Speaker *in the Chair*)

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न संख्या 361 हो गया है, अब प्रश्न संख्या 362 होगा।

â€¦(व्यवधान)

**11.47 Â½ hrs**

*At this Stage Shri K.C. Venugopal, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shrimati Ranjit Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं उन्हें माफी मांगने के लिए बोलती हूं। आप सभी अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब आप नहीं बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** जब आप अपनी सीट पर बैठेंगे तभी वह शांति से बोलेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** कृपया आप सभी बिल्कुल शांत रहिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** एक नया बखेड़ा खड़ा नहीं करें।

â€¦(व्यवधान)

**11.48 hrs**

*At this Stage Shri K.C. Venugopal, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shrimati Ranjit Ranjan and some other hon. Members went back to their seats.*

माननीय अध्यक्ष **:** गिरिराज जी।

सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री गिरिराज सिंह**):** महोदया, आज जो विषय यहां उठा है, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था।...(व्यवधान) मेरी बातों से अगर किसी को दुःख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब कोई कुछ भी न बोलें। कभी न कभी सबके मुख से कुछ न कुछ बातें निकल जाती हैं। कृपया शांत रहें।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आजकल यह थोड़ा ज्यादा हो गया है।

â€¦(व्यवधान)

**11.50 hrs**

**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS ...Contd**

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न संख्या 362, श्री दिलीप सिंह भूरिया जी।

â€¦(व्यवधान)

**(Q. 362)**

श्री दिलीप सिंह भूरिया**:** अध्यक्ष जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासकर, दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों में एस.सी. और एस.टी. के छोटे-छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। कभी-कभी उनसे 18-20

घंटे तक काम लिया जाता है। अगर वे ठीक से काम नहीं करते तो उनका मर्डर हो जाता है, ऐसी मेरे पास कई रिपोर्ट्स हैं। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम कानून बना रहे हैं, राज्यों पर छोड़ा है, नीति बना रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस बारे में स्पष्ट नियम, रूल्स और कानून बनें तभी यह सख्ती से लागू होगा और छोटे-छोटे बच्चों के काम करने का मामला रुकेगा।

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam Speaker, in my answer I have very categorically mentioned the situation. Out of the estimated number of domestic workers of 41.3 lakh a majority of them are female workers. Domestic workers are considered unorganized sector workers. Secondly, domestic workers come under the purview of State Governments and hence State Governments are the appropriate governments. Thirdly, State Governments have the authority to notify the scheduled employments. All other things which the hon. Member has mentioned, like their conditions and their major issues, come under policy matters. It is only when the national policy on the domestic workers is taken into consideration that other important legislations which are under the purview of different Acts can come to them. I, therefore, request the hon. Members that in whichever State the problem is very serious in nature, since the State Government is the appropriate authority, the State Government may take up this issue.

श्री दिलीप सिंह भूरिया: अध्यक्ष महोदया, जब मंत्री जी मानते हैं कि यह मामला बहुत गंभीर है तो फिर नीति क्यों नहीं बनाते। देश की आजादी को 68 साल हो गए हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इस देश में 125 करोड़ लोग हो गए हैं। अगर दलितों और आदिवासियों के बच्चों के साथ इस तरह होता रहता है, रेप और अन्य घटनाएं होती हैं। हम राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं देते कि इस तरह का कानून बनाएं। यह मामला तब रुकेगा नहीं तो ये घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जाएंगी। उनकी हत्याएं होती रहती हैं जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में कब तक नीति बनेगी और कानून आएगा?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने नीति बनाने के बारे में प्रश्न पूछा। इन्होंने बताया कि यह समस्या बहुत गंभीर है और विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के लोग ही ज्यादा हैं। मैं भी इसे मानता हूं। इस बारे में मार्च, 2014 को पॉलिसी कैबिनेट में गई। उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए। हमारे आने के बाद उस पर विचार हो रहा है। हम इसे जल्दी से जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे और डोमैस्टिक वर्कर्स के वर्किंग आवर्स, लीव, तनख्वाह और हैरासमैंट, वॉयलैंस, सैक्सुअल हैरासमैंट आदि को इस पॉलिसी के अंतर्गत लाने का हमारा विचार है। It is under active consideration.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Madam Speaker, domestic workers today make the maximum number of workers in the unorganized sector. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the Act which has been brought for unorganized sector workers like the building workers, beedi workers has done a lot of benefit to them. I notice that the main problem which these domestic workers face, most of the hon. Members are well aware of their problems, is the problem of health and education. It is a big burden on them.

I appreciate the initiative taken by the Minister by bringing an Act for their benefit. I would take this opportunity to ask the hon. Minister whether he is writing to the State Ministers concerned as to how to make improvements and also how the house-owners of the domestic workers are going to contribute a minimum towards their health and education and whether they are going to be included in the proposed Act or not.

SHRI BANDARU DATTATREYA: The hon. Member has raised two issues. The first issue is the minimum wage in unorganized sector under which these people are included. The minimum wage comes within the purview of State Government because it differs from State to State. The VDA or other ingredients of the minimum wage differ from place to place.

The second issue is welfare measures. The domestic workers are already included in the Unorganized Workers Act. There is a scheme called Rashtriya Swasthya Bima Yojana which has got the coverage of family members of five. They may avail of Rs 30,000 cashless benefits. The remaining benefits are there under different welfare schemes. Once it comes to the policy, the benefits will be brought out.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 363 श्री भीमराव बी. पाटील - उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी - उपस्थित नहीं।

**श्री सुधीर गुप्ता**

**(Q. 363)**

श्री सुधीर गुप्ता : मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मंत्रालय नेचुरल गैस के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। अभी मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश से मल्लावरम से मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र रतलाम मन्दसौर नीमच सहित पूरे देश के 16 जिलों से होते हुए राजस्थान के चित्तौड़-भिलवाड़ा-बीकानेर तक 1746 किलोमीटर की पाइपलाइन पहुंचाने की आपकी योजना है। यह योजना 7,000 हजार करोड़ की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह योजना कब तक प्रारंभ होगी और कब तक इसके पूर्ण होने की संभावना है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : देश की आजादी के बाद 15,000 किलोमीटर की पाइपलाइन ग्रिड थी। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी अवधि में हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से जोड़े, यह योजना उसी के तहत है, मल्लावरम से भिलवाड़ा तक पाइपलाइन की पहले से ही मंजूरी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। जगदीशपुर से हल्दिया तक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, दो बड़े पाइपलाइन योजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा उसी के तहत एलएनजी टर्मिनल और डिफरेंट जगह पर नए-नए खाद कारखाना प्लांट लगने वाले हैं, दोनों को मिलाकर फर्टिलाइजर प्लांट और बंद पड़े हुए पॉवर प्लांट से संबंधित गैस पाइपलाइन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

श्री गौरव गोगोई: म्यांमार जैसे देश में नेचुरल गैस का बड़ा भंडार मिल चुका है। नार्थ-ईस्ट एक समय में असम देश की इकोनॉमी में ऑयल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। धीरे-धीरे ऑयल के डिपॉजिट नार्थ-ईस्ट में कम होते जा रहे हैं लेकिन गैस मिलने की संभावना आज भी है। जैसे-जैसे तेल का प्राइस नार्थ-ईस्ट में नीचे आ रहा है, नेचुल गैस की ओर आकर्षण धीरे-धीरे बढ़ रहा है, घट भी रही है।

**12.00 hrs**

इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह नार्थ ईस्ट में कप्रीहैंनिसव एक्सप्लोरेशन स्टडी करवायेंगे, ताकि एक्चुअल में हमारा नेचुरल गैस डिपाजिट कितना है, उसे सरकार जान पाये। खासकर हमारी नैबरिंग कंट्री म्यांमार में नेचुरल गैस का बहुत रिच भंडार है, तो हम आशा करते हैं कि नार्थ ईस्ट में भी वैसा ही होगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, यह अच्छा प्रश्न है। मैं पिछले हफ्ते ही उनकी कांस्टीटूएंसी नुमालीगढ़ तक होकर आया हूं। मैंने असम के चार दिन के दौरे में वहां के मुख्य मंत्री से लंबी बातचीत की है। अभी तक नार्थ ईस्ट देश को दिया था, लेकिन अब दिल्ली की सरकार नार्थ ईस्ट को अपने हाथ में लेगी। हम आने वाले तीन महीने में नार्थ ईस्ट के लिए नया हाइड्रो कार्बन विजन डाक्यूमैंट लेकर आयेंगे, यह हम असम में कहकर आये हैं।

HON. SPEAKER: Thank you. The Question Hour is over.

**12.01 hrs**

**PAPERS LAID ON THE TABLE**